

आदेश

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 2(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश को किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) संशोधन आदेश, 2008 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 में,—

(1) खण्ड 2 में:—

(क) मद संख्या (छक) का लोप किया जाएगा।

(ख) मद संख्या (टक) का लोप किया जाएगा।

(2) खण्ड ४क का लोप किया जाएगा।

3. खण्ड 9 में, उप-खण्ड (क) में शब्दों “किरोसिन में मार्कर के प्रश्नानुसार को निश्चित करने के लिए परीक्षण किट की सहायता से उत्पाद लेना और नमूने का परीक्षण करना” शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. पी-11013/9/2008-वितरण]

डी. एन. नरसिंह राजु, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: प्रमुख आदेश भारत के राजपत्र में दिनांक 2 सितम्बर, 1993 के सं. सा.का.नि. 584(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया।

(1) सं. सा.का.नि. 509(अ), दिनांक 19 जून, 1995

(2) सं. सा.का.नि. 126(अ), दिनांक 8 मार्च, 1996

(3) सं. सा.का.नि. 638(अ), दिनांक 21 अक्टूबर, 1998

(4) सं. सा.का.नि. 105(अ), दिनांक 22 फरवरी, 2001

(5) सं. सा.का.नि. 405(अ), दिनांक 6 जुलाई, 2006

(6) सं. सा.का.नि. 19(अ), दिनांक 12 जनवरी, 2007

ORDER

New Delhi, the 31st December, 2008

G.S.R. 2(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Order, 1993, namely:—

1. (1) This Order may be called the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Amendment Order, 2008.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Order, 1993.

(1) in clause 2,—

(a) item (ga) shall be omitted;

(b) item (ka) shall be omitted;

(2) in clause 8A shall be omitted.

3. in clause 9, in sub-clause (a), the words "draw and test samples of the product with the aid of

test kit to determine blending of marker in kerosene" shall be omitted.

[F.No. P-11013/9/2008-Dist.]

D. N. NARASIMHA RAJU, Lt Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India *vide* No. G.S.R. 584(E), dated the 2nd September, 1993 and subsequently amended *vide*

- (1) No. G.S.R. 509(E), dated the 19th June, 1995
- (2) No. G.S.R. 126(E), dated the 8th March, 1996
- (3) No. G.S.R. 638(E), dated the 21st October, 1998
- (4) No. G.S.R. 105(E), dated the 22nd February, 2001
- (5) No. G.S.R. 405(E), dated the 6th July, 2006
- (6) No. G.S.R. 19(E), dated the 12th January, 2007.